न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 381/2018 दायर दिनाँक 24.12.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र श्री धनराजजाति—ब्राहम्ण, निवासी—केराप, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सोहनलाल पुत्र श्रीनन्दलाल 2. पुखराज पुत्र श्रीछगनलाल 3. उमेश पुत्र श्रीसत्यनारायण 4. महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 5. अमृता पुत्री श्रीसत्यनारायण 6. उर्मीला पुत्री श्रीसत्यनारायण 7. श्रीमति सुशीला बैवा सत्यनारायण 8. उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 9. अनुराधा पुत्री श्रीकाशीप्रसाद 10. नीलम पुत्री श्रीकाशीप्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 12. तहसीलदार डीडवाना।

दावाबाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील, वादी।
2. श्री अजीतसिंह वकील प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 28.01.2019

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, मौजा सरहद केराप भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र केराप में वादी व प्रतिवादी स0 1 से 10 तक के निम्न पुश्तैनी खैताय स्थित हैः—

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 381/2018
दायर दिनाँक 24.12.2018, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
ओमप्रकाश बनाम सोहनलाल, वगैरा।

खेत खसरा नम्बर	रकबा
111	13 बीघा 19 बिश्वा
150	00बीघा 10 बिश्वा
160	05बीघा 06 बिश्वा
706	06बीघा 08 बिश्वा
707	04बीघा 09 बिश्वा
723	02बीघा 16 बिश्वा
724	01बीघा 04 बिश्वा
730	11बीघा 13बिश्वा
कुल	46बीघा 05 बिश्वा

वर्णित खैताय की संयुक्त खातेदारी वादी ओमप्रकाश व वादी की माँ स्व0 सुवटी तथा प्रतिवादी स0 1 सोहनलाल, प्रतिवादी स0 2 पुखराज, प्रतिवादी स0 3 से 7 तक के पिता स्व0 सत्यनारायण, प्रतिवादी स0 8 से 10 तक के पिता स्व0 काशीप्रसाद व इनकीमाँ स्व0 सतोषी के नाम से दर्ज है।वाद–पत्र के साथ में खतौनी के नक़ल प्रस्तुत है।

वर्णित खैतायों का आपसी सुझबुझ से बंटवारा किया जाकर वादी के हक हिस्सें अधिकार में जैरवाद खेतों में से वाके सरहद केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13बिश्वा काफी अर्सा पहले रखा गया था। तब से उक्त खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा भूमि पर वादी का ही कब्ज़ा काश्त चला आ रहा है।

खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा भूमि की खातेदारी में वादी के नाम के साथ साथ प्रतिवादी स0 1 सोहनलाल, प्रतिवादी स0 2 पुखराज, प्रतिवादी स0 3 से 7 तक के पिता स्व0 सत्यनारायण, प्रतिवादी स0 8 से 10 तक के पिता स्व0 काशीप्रसाद व इनकीमाँ स्व0 सतोषी के नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा में से नाम उनका नाम हटाने को कहा जाता रहा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बार बार समय नहीं मिलने का कहने के कारण वादी की और से प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद–पत्र

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 381/2018
दायर दिनाँक 24.12.2018, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
ओमप्रकाश बनाम सोहनलाल, वगैरा।

लाजमी होने से वास्ते घौषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के सामने प्रस्तुत है।

प्रार्थनावादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न है:–

(क) यह है कि वाके सरहद केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी में से प्रतिवादी स0 1 से 10 तक व स्व0 सुवटी, स्व0 सतोषी,स्व0 सत्यनारायण का नाम हटाये जाने की घोषणा की जाकर उक्त सम्पूर्ण खेत की खातेदारी में अकेलेवादी का नाम दर्ज की घोषणा की जाकर तदनुसार बाई मिटस एवं बाऊन्डस बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती करते हुए अकेलेवादी का नाम दर्ज सादर फरमावें।

(ख)यह है कि स्थायी निषेधाज्ञा बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावें कि वाके सरहद केराप में स्थित खेत खसरा नम्बर 730 रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा पर से वादी को बेदखल ना करें और ना ही किसी प्रकार का बैचाण, विनिमय, हस्तानान्तरण, बेदखली, नामान्तरण ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और ना ही अपने किसी एजेंट या प्रतिनिधि से ऐसा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री अजीतसिंह ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

मुताबिक राजीनामा, पक्षकारान ने निवेदन किया कि वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी के कब्जे काश्त बंट व खातेदारी में घोषित की जावें तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 381/2018
दायर दिनाँक 24.12.2018, निर्णय दिनाँक 28.01.2019
ओमप्रकाश बनाम सोहनलाल वगैरा।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुला माफिक राजीनामा/अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है व माफिक राजीनामा दावा डिक्री की इस्तदुआ पक्षकारान् जरिये वकुलाय कर रहे हैं। ऐसी सूरत में माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना, अदालत को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी के कब्जे काश्त बंट व खातेदारी में घोषित की जाती है तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 28.01.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **381/2018** दायर दिनाँक **24.12.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र श्री धनराजजाति–ब्राहम्ण, निवासी–केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सोहनलाल पुत्र श्रीनन्दलाल 2. पुखराज पुत्र श्रीछगनलाल 3. उमेश पुत्र श्रीसत्यनारायण 4. महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 5. अमृता पुत्री श्रीसत्यनारायण 6. उर्मीला पुत्री श्रीसत्यनारायण 7. श्रीमति सुशीला बैवा सत्यनारायण 8. उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 9. अनुराधा पुत्री श्रीकाशीप्रसाद 10. नीलम पुत्री श्रीकाशीप्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 12. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **28.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्रसिंह वकील, वादी व श्री अजीत सिंह वकील प्रतिवादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद केराप के खसरा संख्या 730 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी के कब्जे काश्त बंट व खातेदारी में घोषित की जाती है तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत..... .....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.01.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–381–2018/रीडर/2019/134 दिनाँक 04/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र श्री धनराजजाति–ब्राहम्ण, निवासी–केराप, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सोहनलाल पुत्र श्रीनन्दलाल 2. पुखराज पुत्र श्रीछगनलाल 3. उमेश पुत्र श्रीसत्यनारायण 4. महेन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण 5. अमृता पुत्री श्रीसत्यनारायण 6. उर्मीला पुत्री श्रीसत्यनारायण 7. श्रीमति सुशीला बैवा सत्यनारायण 8. उर्फ रमेश पुत्र श्री काशीप्रसाद 9. अनुराधा पुत्री श्रीकाशीप्रसाद 10. नीलम पुत्री श्रीकाशीप्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 12. तहसीलदार डीडवाना।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner